माननीय न्यायमूर्ति अमोल रतन सिंह के समक्ष

मेसर्स उत्कर्ष बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य- याचिकाकर्ता
बनाम
चंदर प्रकाश बंगा और अन्य- प्रतिवादी
2018 की सीआर संख्या 4553 अगस्त 01, 2018

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 227 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 151 - याचिकाकर्ता, जो मुकदमे में प्रतिवादी था, ने साक्ष्य बंद होने के बाद प्रतिपरीक्षा के लिए वादी के गवाह को वापस बुलाने की अनुमति के लिए तत्काल याचिका दायर की - याचिकाकर्ता की वैकल्पिक प्रार्थना प्रश्न तैयार करना और ट्रायल कोर्ट को दस्तावेज प्रदान करना था, जो प्रश्न की आवश्यकता का परीक्षण कर सकता है और गवाह को रख सकता है - याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने विचाराधीन भूमि की खरीद में पर्याप्त पूंजी का निवेश किया है और वादी द्वारा उनके शीर्षक को इस आधार पर पराजित करने की मांग की गई थी कि पावर ऑफ अटॉर्नी धोखाधड़ी थी - मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया, और याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट को प्रश्नों की एक सूची प्रदान करने का निर्देश दिया, जो यह निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के प्रश्न वास्तव में वादी के गवाह को वापस बुलाने के लिए प्रासंगिक हैं - पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी गई।

यह माना जाता है कि दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, इस तथ्य को देखते हुए कि वर्ष 1989 में निष्पादित एक पावर ऑफ अटॉर्नी को वर्ष 2011 में चुनौती दी गई थी, हालांकि उस तथ्य पर कोई टिप्पणी किए बिना, जो स्वाभाविक रूप से इस न्यायालय के इस अवलोकन से पूरी तरह स्वतंत्र रूप से चला जाएगा, ट्रायल कोर्ट द्वारा, मेरी राय में, याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगे गए वैकल्पिक राहत के संबंध में उन सवालों को प्रस्तुत करने के संबंध में जो वे गवाह से पूछना चाहते हैं, यानी वादी, दिए जाने योग्य है, जो देरी के लिए कुछ लागतों के भुगतान के अधीन है। (पैरा 10)
आगे कहा गया कि परिणामस्वरूप, याचिका को आक्षेपित आदेश के साथ अलग रखा जाता है। याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे उन सवालों की एक सूची प्रदान करें, जिन्हें वे गवाह के सामने रखना चाहते हैं, जिन्हें वे वापस बुलाना चाहते हैं, यानी पीडब्लू -1 चंद्र प्रकाश बंगा (यहां प्रतिवादी नंबर 1), जिसे तब ट्रायल कोर्ट द्वारा देखा जाएगा और उस न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय, कि क्या ऐसे प्रश्न वास्तव में पीडब्ल्यू -1 को वापस लेने के लिए पर्याप्त प्रासंगिक हैं, मामले की पूरी परिस्थितियों में जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(पैरा 11)
आगे कहा गया कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ताओं द्वारा अब आवेदन करने की अनुमति देता है, तो उन प्रश्नों के साथ जो वे पूछना चाहते हैं, याचिकाकर्ताओं को पीडब्लू -1 से आगे जिरह करने का एक प्रभावी अवसर दिया जाएगा।

(पैरा 13)
आगे कहा गया कि अब पीडब्ल्यू-1 को रखे जाने वाले प्रस्तावित प्रश्नों की सूची आज से 15 दिनों के भीतर सीलबंद लिफाफे में विद्वान ट्रायल कोर्ट को प्रस्तुत की जाए, जिसके बाद अगले 15 दिनों के भीतर उस पर निर्णय लेने और अपना निर्णय सुनाने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट को प्रस्तुत किया जाए।

(पैरा 14)
याचिकाकर्ताओं के वकील शेखर वर्मा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव शर्मा।
सलिंदर खैशप, एडवोकेट, प्रशांत सेठी के साथ, एडवोकेट, प्रतिवादी नंबर 1-कैविएटर के लिए।

माननीय न्यायमूर्ति अमोल रतन सिंह (मौखिक)

1) जैसा कि दिनांक 30.07.2018 के आदेश में दर्ज किया गया है, याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने केके वेलुसामी बनाम एन. पलानीसामी में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भरोसा किया था, जिसमें कहा गया था कि एक गवाह को वापस बुलाने का आदेश दायर किए गए उचित आवेदन पर दिया जा सकता है और ऐसा करने के लिए कोई पूर्ण रोक नहीं होगी। तर्क यह है कि आक्षेपित आदेश इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि गवाह (पीडब्ल्यू -1), जो स्वयं वादी है, को ट्रायल कोर्ट (प्रतिवादी संख्या 14 से 19 और 21 से 23) के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील की फिर से जांच करने की आवश्यकता है, जैसा कि

तर्क दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से चूक गए, जो उन्होंने उस समय देखा जब वह बहस के लिए मामला तैयार कर रहे थे।

2) इस न्यायालय (वादी) के समक्ष प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने उक्त निर्णय को अलग करने के लिए समय मांगा था और आज उनके लॉर्डशिप द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर इशारा किया है कि उस मामले का निर्णय पैराग्राफ 4 में उल्लिखित विशिष्ट परिस्थितियों में किया गया था और इसलिए, उस निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले पर लागू नहीं हो सकता है, वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले में आगे कहा है, निम्नानुसार है:-

> "9. संहिता में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो पक्षकारों को मुख्य रूप से और अधिक परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के प्रयोजन के लिए साक्ष्य को फिर से खोलने में सक्षम बनाता है। संहिता की धारा 151 में प्रावधान है कि संहिता की कोई बात संहिता की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी, जो न्याय के उद्देश्य के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकती है। न्यायालय द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त करने के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए साक्ष्य को पुन खोलने अथवा आगे की परीक्षा अथवा प्रतिपरीक्षा के लिए किसी गवाह को वापस बुलाने का उपबंध करने वाले किसी उपबंध के अभाव में, संहिता की धारा 151 के अधीन अंतनहित शक्ति, इसकी सीमाओं के अध्यधीन, उपयुक्त मामलों में साक्ष्य को पुन खोलने और/या आगे की जांच के लिए गवाहों को वापस बुलाने के लिए लागू की जा सकती है। न्यायालय की यह अंतर्निहित शक्ति संहिता के आदेश 18 नियम 17 के तहत अदालत को दी गई व्यक्त शक्ति से प्रभावित नहीं होती है कि वह किसी भी गवाह को वापस बुला सके ताकि अदालत किसी भी स्पष्टीकरण को प्राप्त करने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ सके।"

3) वह आगे उसी प्रभाव को दोहराने के लिए पैराग्राफ 8, 11, 12, 14 और 16 की ओर इशारा करते हैं।

4) इसके बाद वह याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन की ओर इशारा करते हैं, जिसमें गवाह को वापस बुलाने की मांग की गई है (प्रति अनुलग्नक पी -6), यह प्रस्तुत करने के लिए कि, सबसे पहले, उस प्रावधान का भी उल्लेख नहीं किया गया है जिसके तहत आवेदन दायर किया गया था, और इसके अलावा, कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं है कि याचिकाकर्ता गवाह से पूछना चाहते हैं जिसे वापस बुलाया जाना है (वादी स्वयं), आवेदन में खुलासा किया गया था और परिणामस्वरूप, वास्तव में पूर्वोक्त निर्णय का अनुपात वास्तव में उक्त प्रतिवादी के पक्ष में है।

5) इसके जवाब में, श्री शर्मा, याचिकाकर्ताओं के लिए पेश होने वाले वरिष्ठ वकील, संशोधन के आधारों की ओर इशारा करते हैं, जहां एक वैकल्पिक राहत मांगी गई है, (यानी गवाह को वापस बुलाने के लिए तुरंत निर्देश देने के विकल्प के रूप में), जो इस प्रकार है: -

> "या विकल्प में, अपनी नेकनीयती साबित करने के लिए, याचिकाकर्ता प्रश्न तैयार कर सकते हैं और विद्वान पीठासीन अधिकारी को दस्तावेज प्रदान कर सकते हैं, जो प्रश्नों की आवश्यकता का परीक्षण कर सकते हैं, इस प्रकार तैयार किए गए और गवाह को रख सकते हैं।"

6) श्री शर्मा ने आगे दोहराया है कि याचिकाकर्ता वास्तव में वे व्यक्ति हैं जो मुकदमेबाजी से सबसे अधिक प्रभावित हैं क्योंकि वे उस भूमि के बाद के खरीदार हैं जो मूल रूप से वर्ष 1989 में बेची गई भूमि के बाद से कई बार हाथ बदल चुके हैं, और उन्होंने अकेले जमीन की खरीद पर 115 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं, भू-उपयोगकर्ता के परिवर्तन के लिए अन्य अपेक्षित शुल्क का भुगतान किया गया है।

7) वह आगे इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि प्रतिवादी-वादी द्वारा दावा की गई राहत इस तथ्य पर आधारित है कि, जैसा कि वाद में तर्क दिया गया है, वह (वादी) हाल ही में इस तथ्य के बारे में पता चला है, कि एक धोखेबाज ने वर्ष 1989 में पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया था, और जिस व्यक्ति को इसे जारी करने के लिए दिखाया गया है, वर्ष 1973 में मृत्यु हो गई थी। इसलिए वह प्रस्तुत करता है कि वर्ष 1989 में इस्तेमाल किए गए एक उपकरण पर वर्ष 2011 में सवाल उठाया गया था, सुविधा का संतुलन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है।

8) उपरोक्त तर्क के जवाब में, प्रतिवादी नंबर 1-वादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तथ्य की बात के रूप में मूल आवंटी के अंतिम बेटे (जिनकी मृत्यु वर्ष 1973 में हुई थी), वर्ष 2011 में मृत्यु हो गई, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह सूट का कब्जा था और इसकी देखभाल कर रहा था, जिसके बाद वादी (जिसे मूल आवंटी का पोता माना जाता है) को "धोखाधड़ी का पता चला", जिसके संबंध में आपराधिक कार्यवाही भी चल रही है।

9) वह आगे प्रस्तुत करता है कि वास्तव में याचिकाकर्ता कंपनी को जारी लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है, जो विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस आधार पर खंडन किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने लिखित बयान में इस आशय का एक विशिष्ट कथन किया गया है कि उन्हें लाइसेंस जारी किया गया है, जिसके लिए कोई प्रतिकृति दायर नहीं की गई है (हालांकि प्रतिवादी नंबर 1-कैविएटर काउंटरों के लिए विद्वान वकील यह कहकर कि इस तरह का विवाद के साक्ष्य में आया था पीडब्लू -3)।

10) दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, इस तथ्य को देखते हुए कि वर्ष 1989 में निष्पादित एक पावर ऑफ अटॉर्नी को वर्ष 2011 में चुनौती दी गई थी, हालांकि उस तथ्य पर कोई टिप्पणी किए बिना, जो स्वाभाविक रूप से ट्रायल कोर्ट द्वारा इस न्यायालय की इस टिप्पणी से पूरी तरह स्वतंत्र रूप से चला जाएगा, मेरी राय में, याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगे गए वैकल्पिक राहत के संबंध में उन सवालों को प्रस्तुत करने के संबंध में जो वे गवाह से पूछना चाहते हैं, यानी वादी, दी जाने योग्य है, देरी के लिए कुछ लागतों के भुगतान के अधीन जो इसके कारण होगा।

11) नतीजतन, आक्षेपित आदेश को रद्द करने के साथ याचिका की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे उन सवालों की एक सूची प्रदान करें, जिन्हें वे गवाह के सामने रखना चाहते हैं, जिन्हें वे वापस बुलाना चाहते हैं, यानी पीडब्लू -1 चंद्र प्रकाश बंगा (यहां प्रतिवादी नंबर 1), जिसे तब ट्रायल कोर्ट द्वारा देखा जाएगा और उस न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय, कि क्या ऐसे प्रश्न वास्तव में पीडब्ल्यू -1 को वापस लेने के लिए पर्याप्त प्रासंगिक हैं, मामले की पूरी परिस्थितियों में जैसा कि ऊपर बताया गया है।

12) याचिकाकर्ता उस समय 10,000/- रुपये की लागत का भुगतान करेंगे जब वे विद्वान ट्रायल कोर्ट में प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। (यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि भुगतान की जाने वाली लागत अधिक होगी, हालांकि, इस बात पर पुनर्विचार करने के बाद कि ऊपर जो देखा गया है, उसे देखते हुए, इस स्तर पर 10,000/- रुपये की लागत उचित मानी जाती है)।

13) आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ताओं द्वारा अब आवेदन करने की अनुमति देता है, तो वे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, याचिकाकर्ताओं को पीडब्लू -1 की आगे जिरह करने का एक प्रभावी अवसर दिया जाएगा।

14) अब पीडब्लू-1 को रखे जाने वाले प्रस्तावित प्रश्नों की सूची आज से 15 दिनों के भीतर सीलबंद लिफाफे में विद्वान ट्रायल कोर्ट को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद अगले 15 दिनों के भीतर उस पर निर्णय लेने और अपना निर्णय सुनाने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी